

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411 No. 341]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2015/माघ 22, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2015/MAGHA 22, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

का.आ. 431(अ).—जबिक मध्य प्रदेश राज्य में रारा-12 के किमी 359.10 में पार्वती पुल पर प्रयोक्ता फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस) नियमावली, 1992 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

और जबिक उपर्युक्त परियोजना के लिए प्रयोक्ता फीस के संग्रहण हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी कोई विद्यमान प्रयोक्ता फीस अधिसूचना नहीं है।

अब, इस परियोजना पर प्रयोक्ता फीस का संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि प्रयोक्ता फीस संग्रहण के माध्यम से मासिक राजस्व सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता फीस को 40% तक कम किए जाने के पश्चात तथा सं. का.आ. 26(अ) दिनांक 16.01.2014 के अनुसार 10 के गुणक से बढ़ाकर अवसंरचना की लंबाई को राजमार्ग की लंबाई के बराबर परिवर्तित करने के पश्चात प्रयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए मासिक व्यय से कम होगा इसलिए सा.का.नि. 838(अ) दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा मध्य प्रदेश राज्य में रारा-12 के किमी 359.10 में पार्वती पुल पर प्रयोक्ता फीस के उदग्रहण को विमक्त करती है।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/35/2014-एमपी/पी5-]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, 10th February, 2015

S.O. 431 (E).—Whereas the user fee at Parvati bridge at Km. 359.10 of NH-12 in the State of Madhya Pradesh is being collected by the State Government of Madhya Pradesh in accordance with the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992.

And whereas there is no existing user fee notification issued by Ministry of Road Transport and Highways for the collection of user fee for the aforesaid project.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Parvati bridge at Km. 359.10 of NH-12 in the State of Madhya Pradesh from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014.

[F. No. RW/NH-12037/35/2014/MP/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.